

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 131–2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 13, 2021 (SRAVANA 22, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13th August, 2021

No. 19-HLA of 2021/63 /20574.— The Haryana Lokayukta (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 19-HLA of 2021

THE HARYANA LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Lokayukta Act, 2002.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Haryana Lokayukta (Amendment) Act, 2021.
- 2. For sub-section (4) of section 6 of the Haryana Lokayukta Act, 2002, the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(4) The salary, allowances payable to, and other conditions of service of Lokayukta shall be same as may be available from time to time to a sitting Judge of the Supreme Court or Chief Justice or Judge of the High Court, as the case may be, in accordance with the office held by him minus pension already drawn for the previous service, if any, including commuted portion:

Provided that the salary, allowances and other privileges available to the Lokayukta shall not be negotiable:

Provided further that the allowances payable and other conditions of service of the Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.".

Short title.

Amendment of section 6 of Haryana Act 1 of 2003.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per Haryana Lokayukta Act, 2002 the terms and conditions of Lokayukta, specified in Sub-section (4) of Section 6 are as under:-

The salary, allowances payable to, and other conditions of service of Lokayukta shall be same as may be available from time to time to a sitting Judge of the Supreme Court or Chief Justice or Judge of the High Court, as the case may be, in accordance with the office held by him:

Provided that the salary, allowances and other privileges available to the Lokayukta shall not be negotiable:

Provided further that the allowances payable and other conditions of service of the Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

As per Section 7 of Lokpal and Lokayukta Act-2013 of Government of India, the salary, allowances and other conditions of services are as under:-

- 7. The salary, allowances and other conditions of service of
 - i. the chairperson shall be the same as those of the Chief Justice of India
 - ii. other Members shall be the same as those of a Judge of the Supreme Court:

Provided that if the Chairperson or a Member is, at the time of his appointment, in receipt of pension (other than disability pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of service as the Chairperson or, as the case may be, as a Member, be reduced-

- (a) by the amount of that pension; and
- (b) if he has, before such appointment, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Thus, Government observed that in view of above provisions contained in Section 7 of Lokpal and Lokayukta Act-2013 notified by Government of India, the amount of pension drawn including commuted portion of pension is liable to be reduced. Therefore, Sub-section (4) of Section 6 of the Haryana Lokayukta Act, 2002 the following Sub-section may be substituted, namely:-

"(4) The salary, allowances payable to, and other conditions of service of Lokayukta shall be same as may be available from time to time to a sitting Judge of the Supreme Court or Chief Justice or Judge of the High court, as the case may be in accordance with the office held by him minus pension already drawn for the previous service, if any, including commuted portion.

Provided that the salary, allowances and other privileges available to the Lokayukta shall not be negotiable:

Provided further that the allowances payable and other conditions of service of the Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

Hence, the Bill.

	MANOHAR LAL, Chief Minister, Haryana
-	
Chandigarh: The 13th August, 2021.	R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 19 एच.एल.ए.

हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. यह अधिनियम हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उप—धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

2003 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 6 का संशोधन।

"(4) लोकायुक्त को भुगतान योग्य वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो अपनी पूर्व सेवा के लिए पहले से प्राप्त की जा रही संराशित पेंशन, यदि कोई हो, सिहत पेंशन घटाते हुए उस द्वारा धारित पद के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के आसीन मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, को समय—समय पर, यथा लागू हों:

परन्तु लोकायुक्त को उपलब्ध वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं सौदेबाजी वाले नहीं होंगे : परन्तु यह और कि लोकायुक्त को भुगतान योग्य भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते उसकी नियुक्ति के बाद, उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 के अनुसार धारा 6 की उप धारा (4) में लोकायुक्त के नियम और शर्तें निम्नानुसार है :--

"लोकायुक्त को भुगतान योग्य वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो समय—समय पर उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, को उसके द्वारा धारण किये गये पद के अनुसार उपलब्ध हों :

परन्तु लोकायुक्त को उपलब्ध वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं सौदेबाजी वाले नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि लोकायुक्त को भुगतान योग्य भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें, उसकी नियुक्ति के बाद, उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।"

भारत सरकार के लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम— 2013, की धारा 7 के अनुसार वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें निम्नानुसार है :--

- 7. वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें
 - i) अध्यक्ष की वही होंगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की होंगी
 - ii) अन्य सदस्यों की वही होंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होंगी :

यदि अध्यक्ष या सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पिछली सेवा के संबंध में पेंशन (विकलांगता पेंशन के अलावा) प्राप्त कर रहा है, तो उसका वेतन अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार कम किया जा सकता है।

- क) उस पेंशन की राशि से; तथा
- ख) यदि उसे ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पिछली सेवा के संबंध में उसे देय पेंशन के एक हिस्से के बदले में, पेंशन के उस हिस्से की राशि से उसका परिवर्तित मूल्य प्राप्त हुआ है ।

इस प्रकार सरकार ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम—2013 की धारा 7 में निहित उपरोक्त प्रावधानों की समीक्षा उपरान्त पाया कि पेंशन के परिवर्तित हिस्से सिहत देय पेंशन की राशि को कम किया जा सकता है, इसलिए हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उप—धारा (4) को निम्नलिखित उप—धारा से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात् :—

"(4) लोकायुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो अपनी पूर्व सेवा के लिए पहले से प्राप्त की जा रही संराशित पेंशन, यदि कोई हो, सिहत पेंशन घटाते हुए उस द्वारा धारित पद के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के आसीन मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, को समय—समय पर, यथा लागू हों:

परन्तु लोकायुक्त को उपलब्ध वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं सौदेबाजी वाले नहीं होंगे ।

परन्तु यह और कि लोकायुक्त भुगतान योग्य भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें उसकी नियुक्ति के बाद, उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।''

अतः यह विधेयक।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 13 अगस्त, 2021. आर० के० नांदल, सचिव।